रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2016/फाल्गुन 7, 1937
No. 524] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2016/ PHALGUNA 7 , 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2016
सं. 10/2016

का.आ. 613(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (15) के उप-उपवाक्य (iv) के मद (ज) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एततद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जो का.आ.1827 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोंधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिसूचना में

क) पैराग्राफ 6 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"6. सार्वजनिक इश्यू.- (i) सारणी के प्रत्येक निकाय द्वारा जारी किए जाने वाले बन्धपत्रों की सकल राशि का सत्तर प्रतिशत सार्वजनिक इश्यू से अर्जित किया जाएगा;

(ii) उपपैराग्राफ (i) के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक इश्यू का चालीस प्रतिशत आर. आई. आई. के लिए नियत किया जाएगा:

बशर्ते कि उपपैराग्राफ (ii) में उल्लिखित में "चालीस प्रतिशत" शब्दों को, सारणी के क्रम संख्या 2 (ख) और 8 के निकायों के मामले में "साठ प्रतिशत" पढ़ा जाएगा";

(ख) पैराग्राफ 9 में, सारणी में, क्रम संख्या 2 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

क्रम संख्या	निकाय	बंधपत्र की आबंटित राशि (रु० करोड़ में)
"2.	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (आई आर एफसी)	
	(क) ट्रांचे I	6000
	(ख) ट्रांचे II	3500".

[फा. सं. 178/1/2016-आईटीए-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में का.आ.1827 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 2015 के तहत् प्रकाशित की गई थी और बाद में इसमें अधिसूचना संख्या का. आ. 520 (अ), दिनांक 18 फरवरी, 2016 के तहत् संशोधन किया गया है।